क्रम-संख्या--235

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०--4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०--41

(लाइसेन्सशुदा पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

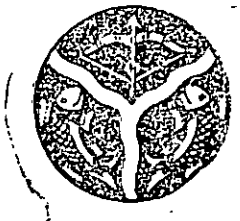

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 29 मार्च, 1985

चैत्र 8, 1907 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 529/सत्रह-वि-1--1(क)--16-1985

लखनऊ, 29 मार्च, 1985

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1985 पर दिनांक 28 मार्च, 1985 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1985 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1985

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1985)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1985 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910 में नयी धारा 38–क का बढ़ाया जाना

2––संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 38 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :––

"38–क (1) जहां किसी आबकारी राजस्व का भुगतान उसके देय होने के दिनांक से आबकारी राजस्व के तीन मास के भीतर न किया गया हो, वहां चौबीस प्रतिशत प्रति बकाया पर ब्याज वर्ष से अनधिक दर पर, जैसी विहित की जाय, ब्याज ऐसे आबकारी राजस्व के देय होने के दिनांक से वास्तविक भुगतान के दिनांक तक देय होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जब तक कोई उच्च दर विहित न की जाय, तब तक ब्याज की दर अट्ठारह प्रतिशत प्रति वर्ष होगी :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे आबकारी राजस्व के सम्बन्ध में, जो उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1985 के प्रारम्भ होने के पूर्व देय हो गया हो, उक्त दर पर ब्याज ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से देय होगा, यदि आबकारी राजस्व का भुगतान उक्त दिनांक के तीन मास के भीतर न किया जाय ।

स्पष्टीकरण––इस उपधारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि उससे किसी करार, नीलामी के निबन्धनों या उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1985 के प्रारम्भ के दिनांक के पूर्व दायर किये गये वादों या कार्यवाहियों में न्यायालय की किसी डिक्री जो उक्त दिनांक के पूर्व पारित की गयी हो या उक्त दिनांक के पश्चात् पारित की जाय, के अधीन ब्याज के भुगतान पर प्रभाव पड़ता है ।

(2) ऐसे ब्याज की वसूली पर धारा 39 के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे आबकारी राजस्व की वसूली पर लागू होते हैं ।"

आज्ञा से,
वी० एल० लूम्बा,
सचिव ।

No. 529(2)/XVII-V—1-1(KA)-16-1985
Dated Lucknow, March 29, 1985

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Abkari (Sanshodhan) Adhiniyam, 1985 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 7 of 1985) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 28, 1985.

THE UTTAR PRADESH EXCISE (AMENDMENT) ACT, 1985

[U. P. Act No. 7 of 1985]
(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN
ACT

further to amend the U. P. Excise Act, 1910.

It is hereby enacted in the Thirty-sixth Year of the Republic of India as follows :

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Excise (Amendment) Act, 1985.

Insertion of new section 38-A in U. P. Act no. 4 of 1910.

2. *After* section 38 of the U. P. Excise Act, 1910, the following section shall be *inserted*, namely :—

"38-A. (1) Where any excise revenue has not been paid within three months from the date on which it becomes payable, interest at such rate not exceeding twenty-four per cent per annum, as may be prescribed, shall be payable from the date such excise revenue becomes payable till the date of actual payment :

Interest on arrears of excise revenue.

Provided that until a higher rate is prescribed, the rate of interest will be eighteen per cent per annum :

Provided further that in respect of an excise revenue which became payable before the commencement of the Uttar Pradesh Excise (Amendment) Act, 1985 interest at the said rate shall be payable from the date of such commencement if the excise revenue is not paid within 3 months of the said date.

Explanation : Nothing in this sub-section shall be construed to affect the payment of interest under an agreement, the terms of an auction or, a decree of the court, passed before the date of commencement of the Uttar Pradesh Excise (Amendment) Act, 1985 or which may be passed after the date of such commencement, in suits or proceedings filed before the said date.

(2) Provisions of section 39 shall *mutatis mutandis* apply to realisation of such interest as they apply to realisation of excise revenue."

By order,
B. L. LOOMBA,
Sachiv.

पो० एस० यू० पी०—ए० पी० 317 सा० (विधा०)—(4270)—1985- 750 (मेक०)